

- 1. प्रथम दृष्टया प्रकरण:-** पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 102 रकबा 1.1507 है0, ख.न. 143 रकबा 0.1012 है0, ख.न. 143/1 रकबा 0.0253 है0, ख. न. 143/2 रकबा 0.0379 हैक्टेयर वाके लक्ष्मीपुरा, प.ह. मीठावास भू.अ.नि. वांसखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 सह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 की सहखातेदारी की आराजी है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है।
- 2. सुविधा का संतुलन:-** आराजी मुतनाजा के संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन दोनों ही पक्षों के हक में प्रमाणित है।
- 3. अपूर्णनीय क्षति:-** चूंकि विवादित आराजी का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। मूल दावा जो विभाजन का है, निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द-बुर्द किया जाता है तो दोनों ही पक्षों को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ताफैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अपने ग्राम लक्ष्मीपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 102 रकबा 1.1507 है0, ख.न. 143 रकबा 0.1012 है0, ख.न. 143/1 रकबा 0.0253 है0, ख.न. 143/2 रकबा 0.0379 हैक्टेयर का बेचान नहीं करें, ना कोई निर्माण करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उभयपक्षकारान अपने हिस्से की आराजी को रहन रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण